

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान को उपयोगित को दृष्टिगत करते हुए संव कृषि कार्य न होने के कारण ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद जिला आराजो संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 56/0.328, 279/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 हेतु व 79/0.171 हेतु को शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण हेतु अकृषि कार्यपित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो आदेश को सत्यापित प्रति उप निर्बंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। शक आवश्यक कार्यवाही पत्रावली को खिल दफतर हो।

दिनांक - 17.2.2009

17/2/09
अशुतोष कुमार द्विवेदी
 उप जिलाधिकारी, सदर
 इलाहाबाद।

110

दिनांक 25/2/09
 25/2/09
 25/2/09
 जगन्म 600200
 13-10-09

सत्यापित
 25/2/09
 व्यापक उ. अधिकारी
 सदर, इलाहाबाद



The document is executed in the presence of me at Court compound. The execution of the document by the executant who is true is hence the SI No.

R.B. Singh
 Advocate Notary
 Allahabad

R.B. SINGH
 Notary
 Allahabad

SOLEMNLY AFFIRMED before me on at AM/PM by Sri /Smt Identified by Mr. Advocate to be his/her affidavit are true and correct Which is here by Verified and attested
 SI. No.

R.B. Singh
 Advocate/Notary
 Allahabad

R. B. Singh
 Advocate/Notary
 Allahabad

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

मुद्रित अंकित है।

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001